सं०सं०–1/मे०का०मधे०–03/2012–.....10.(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक :

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
मधेपुरा।

पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

विषयः–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा को विपत्र कोड– N 2210051050024 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 3,27,47,000/– (तीन करोड़ सताईस लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/ उप शीर्ष अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा को विपत्र कोड N 2210051050024 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 3,27,47,000/– (तीन करोड़ सताईस लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0024–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा, माँग सं०-X विपत्र कोड N 2210051050024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। समय–समय पर वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

6. इस राशि के क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में तथा निर्धारित शर्त्तो के तहत् किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र एवं जिनकी निकासी वर्ष 2011–12 में नहीं हो सकी है, की भी निकासी की जा सकेगी, बशर्त्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

क्रमशः

24/4/2012

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

17/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/मे०का०मधे०–03/2012–.....10.....(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–25/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, सहरसा/ जिलाधिकारी, मधेपुरा/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12

राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा विपत्र कोड एन 2210051050024 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	15000000	13500000	1500000
01 03 जीवन यापन भत्ता	10050000	9045000	1005000
01 04 मकान किराया भत्ता	2250000	2025000	225000
01 06 चिकित्सा भत्ता	180000	162000	18000
01 07 अन्य भत्ता	225000	202500	22500
योग– वेतन एवं भत्ते	**27705000**	**24934500**	**2770500**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000	10000	10000
11 01 यात्रा व्यय	10000	5000	5000
13 01 कार्यालय व्यय	70000	35000	35000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	200000	100000	100000
13 03 दूरभाष	20000	10000	10000
13 04 विद्युत प्रभार	20000	10000	10000
13 05 विधि प्रभार	10000	5000	5000
13 06 वर्दी/पोशाक	15000	7500	7500
14 01 किराया महसूल एवं कर	20000	0	20000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	10000	5000	5000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	10000	0	10000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	50000	25000	25000
21 02 दवा भण्डार	10000	0	10000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	15000000	7500000	7500000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	30000000	100000	29900000
कुल योग :–	**73170000**	**32747000**	**40423000**

(तीन करोड़ सताईस लाख सैतालीस हजार रूपए) मात्र

10(1)पा.
25-4-12

17/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव।